न्यायालय:— महेन्द्र सैनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद

//आम स्चना//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवायजरी / निर्देश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04. 07.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों अग्रीम पेशी दिनांक निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे शीघ्र सुनवाई, ऐसे प्रकरण जो अंतिम तर्क , रिमाण्ड निर्णय आदेश आदि ऐसी कार्यवाहीयां जो दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के द्वारा मौखिक साक्ष्य के द्वारा संपादित की जा सकती हैं तथा निषेधाज्ञा मामलों तथा अंडर द्रायल अभियुक्तगणों को छोडकर) सभी सिविल एवं आपराधिक प्रकरण में दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक निम्नानुसार अग्रीम दिनांक को सुनवाई में लिये जाते हैं।

इस हेतु अभिभाषकगण अपने अपने पक्षकारों को अपने स्तर पर अवगत कराने का कष्ट करें ।

सरल कमांक	पेशी तारीख	सिविल प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख	आपराधिक प्रकरणों हेतु नियत पेशी तारीख	अण्डर ट्रायल प्रकरण
1	29.06.2020	06.07.2020	21.07.2020	13.07.2020
2	30.06.2020	07.07.2020	22.07.2020	14.07.2020
3 🖒 🗀	01.07.2020	08.07.2020	23.07.2020	15.07.2020
4	02.07.2020	09.07.2020	24.07.2020	16.07.2020
5	03.07.2020	10.07.2020	25.07.2020	17.07.2020
6	04.07.2020	11.07.2020	27.07.2020	17.07.2020

(महेन्द्र सैनी) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद प0नि0

न्यायालय—चारूलता दांगी न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी सनावद जिला मण्डलेश्र (म०प्र०)

दिनांक 29.06.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाईजरी/निर्देश एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डलेश्वर के आदेश के अनुपालन तथा समस्त भारत देश में लाकडाउन की स्थिति को देखते हुए सर्वसाधारण तथा इस न्यायालय के प्रकरणों से संबधित समस्त अभिभाषकगण को सुचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को रोके जाने हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 04.07.2020 तक समस्त सिविल एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सभी प्रकरणों में अग्रीम पेशी दिनांक निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः (अपरिहार्य स्थिति जैसे अंतिम तर्क, आदेश, शीघ्र तथा निषेधाज्ञा मामलों, के मामलों को छोड़कर) सभी सिविल मामलों में दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 01.04.2020 तक के सिविल प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन अग्रिम दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

क्रमांक	पुरानी तारीख	सिविल प्रकरण	आपराधिक प्रकरण
1	29.06.2020	15.07.2020	04.09.2020
2	30.06.2020	16.07.2020	07.09.2020
3	01.07.2020	17.07.2020	-
4	02.07.2020	20.07.2020	
5	03.07.2020	21.07.2020	09.09.2020
6	04.07.2020		_/

चारूलती दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद जिला मण्डलेश्वर (म०प्र०)